राजस्थान सरकार
सा.न्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/16 जयपुर, दिनांक : 12/8/2016

–: आदेश :–

श्री यूसुफ खान, वा. चालक, मुख्यमंत्री निवास, जयपुर को पंचम् श्रेणी में उनकी वरियत संख्या 125/2014 व सेवा. त्ति दिनांक 30.11.2020 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम–27 के अन्त त शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमा सार किराये पर उनके निवा हेतु राजकीय आवास संख्या जीएडी/5/टी–1/65, विद्याधर नगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आध पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निर समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया र स्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्त त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रि करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के न से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचि करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदे प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के अर फल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उर का मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के श्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई यं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर मे निजी आवास नि र्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य र कार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी स चिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय म त्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या 271/एम/जीएडी/16 दिनांक 6.7.2016 के क्रम में।
4. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर राज, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जय र शहर, जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशा न (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन वि ग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–नगर खण्ड–तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण गम लि0 विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को र्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव